सं०सं०–7 / MCH–35–30 / 2022– 205 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.

सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 15 / 06 / 2026

विषयः– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में 1200 शैय्या के नये अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य अनुसंगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रू० 5,13,21,00,000/– (रुपये पाँच अरब तेरह करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में रु० 3,30,00,000/–(रुपये तीन करोड़ तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में 1200 शैय्या के नये अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य अनुसंगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 मे कुल रू० 5,13,21,00,000/– (रुपये पॉच अरब तेरह करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्राक–127(1), दिनाक–29.01.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2– इस योजना हेतु अबतक आवटित / व्यय राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश / व्ययादेश सं0 एवं दिनांक
1	2022–23	13,20,00,000	सं0–99(7), दिनांक–06.07 2022
2	2022–23	4,00,00,000	सं0–528(7), दिनांक–.07.03.2023
3	2023–24	9,90,00,000	स0–143(7), दिनांक– 19.07.2023
4	2023–24	17,30,00,000	सं0–223(7), दिनांक–.20.09 2023
5	2023–24	35,50,00,000	सं0–576(7), दिनांक–01.03 2024
6	2024–25	25,00,00,000	सं0–140(7), दिनांक–23 08.2024
7	2024–25	25,00,00,000	सं0–335(7), दिनांक–09 01 2025
8	2024–25	110,25,00,000	सं0–593(7), दिनांक–28.03 2025
	कुल–	**2,40,15,00,000**	

3– तदक्रम मे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त स्वीकृत स्कीम (योजना) हेतु रु० 3,30,00,000/–(रुपये तीन करोड़ तीस लाख) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त अस्पताल भवन मे 24 ओ0टी0 होगे, वही अस्पताल भवन मे 120 शैय्या का आई0सी0यू0 एव 80 शैय्या के इमरजेन्सी का भी प्रावधान है। प्रस्ताव पर इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना के शासी निकाय की 103वीं बैठक मे मद सख्या–101/1529(1) के रूप मे स्वीकृति प्राप्त है एव यह कार्य इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–127(1), दिनाक–29.01.2020 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

6– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31. 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान–200–अन्य पद्धतियाँ–0101–इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0101–31–05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियो के निर्माण मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, इदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA003 विपत्र कोड–00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-13909 में उपलब्ध करायेंगे एवं निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना कराये गये कार्य के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–211(7), दिनाक–22.09.2022 के आलोक में उक्त राशि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के खाते में उपलब्ध करायेंगे !

10– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का व्यय कर ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र इदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं संस्थान द्वारा पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार/विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें। राशि की नियमानुकूल व्यय की सम्पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की होगी।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/MCH–35–30/ 2022 के पृष्ठ–76/टि0 पर प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकासभवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.6.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/MCH–35–30/2022– 205(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक– 15/06/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर,. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.6.26.

सरकार के अपर सचिव